

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या -०५...../2018

लखन मांझी वगै० बनाम् ओ०एन०जी०सी०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख


13-06-2018

आवेदक लखन मांझी पिता बब्लु मांझी वो बब्लु मांझी पिता स्व० रामलाल मांझी वो गणेश किस्कु पिता चारो मांझी वो शिवशंकर मांझी पिता सोनाराम मांझी सभी का निवास ग्राम कांशीखाप, पो०-हेसागड़ा, थाना- माण्डू, जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा मौजा- कांशीखाप, थाना नं०- 123, खाता नं०-11, प्लॉट नं०-56, 60, 61, 62, 477, 478, 479 कुल रकवा- 131 डी० भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अर्न्तगत ओ०एन०जी०सी०, सी०बी०एम० परिसंपत्ति बोकरो (प्रथम तला, एच०एस०सी०एल० भवन नया मोड़ बोकरो) को पट्टे में देने की अनुमति हेतु आवेदन दायर किया गया है।

आवेदकगण से प्राप्त आवेदन एवं संलग्नक कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत एवं जमाबन्दी रैयत के वंशजों के बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है और न ही बंटवारा से संबंधित कोई कागजात आवेदकगण के द्वारा दाखिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनुमति हेतु प्रश्नगत भूमि आवेदकगण के हिस्से की भूमि है।

उक्त परिपेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अर्न्तगत अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः प्रविष्टि के बिन्दु पर प्रश्नगत भूमि से संबंधित अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशाधित


उपायुक्त,
रामगढ़।


13/6/18

उपायुक्त,
रामगढ़।